रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 14] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 29, 2011/माघ 9, 1932
No. 14] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 29, 2011/MAGHA 9, 1932

यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया

अधिसूचना

मुम्बई, 27 जनवरी, 2011

फा. सं. यूटीआई-एएम/डीओएफए/एसयूयूटीआई-गजट-2010-11/66.—लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

प्रशासक,
भारतीय यूनिट ट्रस्ट का
विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई)
मुंबई

हमने यथा 31 मार्च, 2010 तक भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई), मुंबई की योजनाओं/फंडों अर्थात् 1. यूएस 64 बॉण्ड, 2. एआरएस बॉण्ड, 3. डीआईपी91 एवं 4. एमआईपी 96 IV के संलग्न तुलन पत्रों एवं उक्त तिथि को समाप्त वर्ष हेतु संलग्न संबंधित राजस्व लेखे की लेखापरीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों का उत्तरदायित्व प्रबंधन पर है एवं इन्हें प्रबंधन द्वारा जो कि कार्पोरेट कार्यालय, मुंबई मे केंद्रीकृत है, कई शाखाओं एवं प्रमुख कार्यालयों (पूर्ववर्ती यूटीआई के, जिन्हें अब यूटीआई वित्तीय केंद्रों में बदल दिया गया है) से प्राप्त, संग्रहीत एवं विस्तारपूर्वक मिलान किए गए वित्तीय आंकड़ों/सूचना के विवरण के आधार पर तैयार किया गया है। हमारा उत्तरदायित्व, हमारे द्वारा संपन्न लेखापरीक्षा के आधार पर, इन विवरणियों पर विचार व्यक्त करना है।

हमने अपनी लेखापरीक्षा का संचालन, भारत के सामान्यतया स्वीकृत लेखापरीक्षा के मानकों के अनुसार किया है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षा की जाती है कि हम लेखापरीक्षा की योजना बनाकर उसका कार्यनिष्पादन करें ताकि हमें उचित आश्वासन प्राप्त हो सके कि ये वित्तीय विवरण भौतिक गलतियों से परे हैं। लेखापरीक्षा के दौरान, परीक्षण के तौर पर वित्तीय विवरणियों में दी गई राशि के समर्थन में साक्ष्य एवं प्रकटन की जाँच की जाती है। लेखापरीक्षा में, प्रयोग में लाई गई लेखा संबंधी नीतियों का निर्धारण एवं प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन का मूल्यांकन भी किया जाता है और साथ ही समस्त वित्तीय

यहाँ दर्शाई गई लेखापरीक्षा के आधार पर एवं भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002 की आवश्यकतानुसार और प्रकटन हेतु आवश्यक परिसीमा के अनुरूप तथा यहाँ संलग्न अनुबंध में उल्लिखित हमारी टिप्पणियों एवं तालिका 'ड' में उल्लिखित लेखा टिप्पणियों के अधीन हम रिपोर्ट करते हैं कि:

क) हमने वह सारी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के मुताबिक हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक थे।

ख) तुलन पत्र और संबंधित राजस्व लेखे, लेखा बहियों के समनुरूप हैं।

ग) हमारी राय में और हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार और हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुरूप और अनुसूची 'ड' के अनुसार टिप्पणियों और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के विवरण के साथ पढ़े जाने पर :

i) उक्त तुलन पत्र पूरे और सही हैं तथा इनमें सभी आवश्यक विवरण दिए गए हैं और "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम के हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002", के अंतर्गत बनाए गए हैं ताकि यथा 31 मार्च, 2010, एसयूयूटीआई की विभिन्न योजनाओं/प्लानों/फंडों की सच्ची और साफ स्थिति को दर्शाया जा सके।

ii) योजनाओं/फंडों अर्थात् 1. यूएस 64 बॉण्ड, 2. एआरएस बॉण्ड, 3. डीआईपी 91 और 4. एमआईपी 96 IV के उक्त राजस्व लेखे, आय का व्यय से अधिकता का सच्चा और साफ चित्र दिखाते हैं।

कृते अशोक भारतीय एवं कं.,
सनदी लेखाकार

(अशोक भारतीय)

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16.08.2010

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

(अनुबंध, उक्त रिपोर्ट के अंश)

1. भारत सरकार द्वारा भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम, 1963 को "भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का हस्तांतरण एवं निरसन) अधिनियम, 2002" के जरिए निरस्त कर दिया था। इस निरसन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने पूर्ववर्ती यूटीआई को दो इकाइयों अर्थात् भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम (एसयूयूटीआई) और यूटीआई म्यूचुअल फंड में अंतरित करने और उसमें निहित करने के प्रयोजनार्थ दिनांक 15 जनवरी, 2003 की अपनी अधिसूचना के जरिए 01 फरवरी, 2003 को "नियत तिथि " के रूप में अधिसूचित किया था। अत: उपरोक्त योजनाओं/फंडों के संबंध में एसयूयूटीआई के लेखे,निरसन अधिनियम के अनुसरण में तैयार किए गए हैं।

2. डिबेंचर एवं बॉण्ड में किए गए निवेश जिनमें सावधि ऋण (ऋण निवेश से संबंधित) भी शामिल हैं, में पिछले कई वर्षों के दौरान स्वीकृत ऐसे कई मामले शामिल हैं, जहाँ हालांकि बहुत पहले ही अनुबंधित अवधि बीत चुकी थी फिर भी पूर्ण रूप से सुरक्षा निर्मित नहीं की गई है । प्राप्त की गई सूचना के अनुसार (क): 33 मामलों में, कुल रु. 138.04 करोड़ हेतु सुरक्षा निर्मित ही नहीं की गई है तथा इनमें से 32 मामलों में जिसमें कुल रु. 137.29 करोड़ शामिल हैं, की वसूली/बीआईएफआर/परिसमापन की जा रही है। (ख): 33 मामलों में कुल रु. 48.21 करोड़ हेतु सुरक्षा पूर्ण रूप से निर्मित नहीं की गई है तथा इनमें से 32मामलों में, जिनमें रु. 47.81 करोड़ शामिल हैं, की वसूली/बीआईएफआर/परिसमापन की जा रही है । पूर्ण आंकड़े/सूचना न होने के कारण ऋण पोर्टफोलियो की वसूली योग्यता पर टिप्पणी नहीं की जा सकती है।

3. एसयूयूटीआई, यूटीआई इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं सर्विस लि. के जरिए विभिन्न समाचार पत्रों में विज्ञापन देते हुए, वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान कई संपत्तियों की बिक्री की है। हमारी राय में, बाजार की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि, बिक्री संबंधी प्रक्रिया में शीघ्रता लाने, संपत्तियों की बिक्री निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुपालन एवं सर्वोत्तम मूल्य प्राप्त करने हेतु प्रयोग में लाई जा रही नीतियों में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं, इससे वित्तीय विवरणी एवं दीर्घावधि से लंबित समीक्षा पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

कृते अशोक भारतीय एवं कं.
सनदी लेखाकार

(अशोक भारतीय)

स्थान: मुंबई
दिनांक: 16.08.2010

भारतीय यूनिट ट्रस्ट का विनिर्दिष्ट उपक्रम

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां

क . आय निर्धारण

I. लाभांश आय निम्नलिखित आधार पर निर्धारित मानी जाती है:

क.सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के सम्बंध में लाभांश आय, "लाभांश रहित" तारीख को प्रोद्भूत होती है।

ख. असूचीबद्ध इक्विटी शेयरों के संबंध में लाभांश आय, घोषणा की तारीख को प्रोद्भूत होती है।

ग. अधिमान शेयरों के संबंध में लाभांश आय, प्राप्ति की तारीख को प्रोद्भूत होती है।

II. डिबेंचर एवं अन्य नियत आय वाले निवेशों पर ब्याज का निर्धारण, प्रोद्भवन आधार पर आय माना जाता है।

III. निवेशों की बिक्री से होनी वाले लाभ या हानि का निर्धारण बिक्री तारीख को भारित औसत लागत के आधार पर किया जाता है।

IV. यूनिट योजना 1964 बॉण्ड, जिसके अंतर्गत अचल आस्तियां हैं, यूटीआई एएमसी लि. द्वारा उपरोक्त आस्तियों के प्रयोगार्थ न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित आपसी सहमति आधार पर सेवा प्रभार वसूल करता है।

ख. यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि

यूएस 64 के संबंध में, जहां यूनिटें भारत सरकार द्वारा घोषित विशेष पैकेज के अंतर्गत अंकित मूल्य से अधिक प्रीमियम पर पुनर्खरीद की जा रही हों तो प्रीमियम को यूनिट प्रीमियम प्रा [illegible] भारित किया जाता है। जब कभी यूएस 64 की यूनिटें, शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) आधारित मूल्यों के अंतर्गत पुनर्खरीद की जाती हैं तो बट्टे को यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि में जमा किया जाता है।

ग. व्यय :

ये प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

घ. निवेश

i. निवेश लागत अथवा घटी हुई लागत पर बताए जाते हैं।

ii. द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतियों की खरीद/ बिक्री को व्यापार की तारीख को हिसाब में लिया जाता है।

iii. निवेश की लागत में दलाली, सेवा-कर एवं डाक प्रभार शामिल है।

iv. प्राथमिक बाजार में अभिदान, आबंटन पर निवेश के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

v. अधिकार पात्रता का निवेश के रूप में निर्धारण "अधिकार रहित" तारीख को किया जाता है।

vi. बोनस पात्रता का निवेश के रूप में निर्धारण, "बोनस रहित" तारीख को किया जाता है।

vii. डिबेंचर/ बॉण्ड, ऋणों एवं जमाराशियों में निवेश को शोधन/ देय तारीख से चालू आस्तियों में हिसाब में लिया एवं दिखाया जाता है।

ङ. निष्पादित निवेशों का मूल्यांकन

I. इक्विटी एवं इक्विटी सम्बद्ध प्रतिभूतियां :

अ. कारोबारी प्रतिभूतियां

जब किसी प्रतिभूति का किसी शेयर बाजार में 30 दिनों (मूल्यांकन तिथि सहित) के भीतर लेनदेन किया जाता है एवं ऐसी अवधि के दौरान लेनदेन की समग्र मात्रा 50,000 से अधिक होती हो अथवा लेनदेन की मात्रा रु.5,00,000 से अधिक हो तो प्रतिभूति को कारोबारी प्रतिभूति कहा जाता है। इनका मूल्यांकन बीएसई के अंतिम बंद मूल्य पर किया जाता है तथा इसकी अपुनस्थिति में एनएसई का अंतिम बंद मूल्य लिया जाता है।

आ. गैर कारोबारी / कम कारोबारी / असूचीबद्ध प्रतिभूतियां :

प्रतिभूतियों में निवेश जिसका उपरोक्तानुसार किसी भी शेयर बाजार में लेनदेन नहीं किया गया है, का मूल्यांकन उचित मूल्य पर निर्धारित किया जाता है।

II. डिबेंचर, बॉण्ड,सावधि ऋण एवं अंतरणीय नोट - ऋण प्रतिभूतियां :

अ. कारोबारी प्रतिभूतियां :

डिबेंचर एवं बॉण्डों में निवेश का मूल्यांकन, मूल्यांकन की तिथि को अंतिम बाजार दर पर किया जाता है और इसकी अनुपस्थिति में मूल्यांकन तिथि से 15 दिन की अवधि के दौरान उपलब्ध नवीनतम भाव पर किया जाता है बशर्ते उस प्रतिभूति का मुख्य शेयर बाजार अथवा अन्य किसी शेयर बाजार में विक्रय योग्य लॉट (वर्तमान में रु.5 करोड़) में अलग-अलग लेनदेन हुआ हो।

आ. गैर कारोबारी/ कम कारोबारी प्रतिभूतियां :

गैर कारोबारी/ कम कारोबारी प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाता है:

i) दर्जाकृत ऋण प्रतिभूतियां :

182 दिनों से अधिक अवशेष परिपक्वता अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियां

182 दिनों से अधिक अवशेष परिपक्वता अवधि वाली प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन क्रिसिल द्वारा प्रदान किए गए मैट्रिक्स पर आधारित परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) पर किया जाता है। परिपक्वता पर प्रतिफल को अनकदीकरण की जोखिम हेतु बढ़ाया अथवा घटाया जाता है।

182 दिनों की परिपक्वता अवशेष अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियां:

182 दिनों की परिपक्वता अवशेष अवधि वाली ऋण प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि को प्रतिभूतियों के परिशोधन के आधार पर किया जाता है।

पुट/ कॉल ऑप्शन वाली ऋण प्रतिभूतियां :

कॉल ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन निम्नतम कॉल पर किया जाता है और पुट ऑप्शन वाली प्रतिभूतियों का मूल्यांकन सबसे अधिक पुट पर किया जाता है। पुट एवं कॉल दोनों ऑप्शन वाली प्रतिभूतियां पुट/ कॉल तिथि को परिपक्व हुई समझी जाएंगी एवं तदनुसार मूल्यांकित होंगी।

पूर्णत:/ अंशत:/ वैकल्पिक परिवर्तनीय डिबेंचर :

i. डिबेंचरों के परिवर्तनीय भाग का मूल्यांकन, जहां परिवर्तन की शर्तें उपलब्ध हों, क्रमश: कारोबारी एवं कम कारोबारी/ गैर कारोबारी इक्विटी हेतु लागू बाजार के अंतिम मूल्य अथवा उचित मूल्य में से नकदीकरण हेतु 10% बट्टा काट कर किया जाता है।

ii. परिवर्तनीय डिबेंचरों के गैर परिवर्तनीय भाग एवं परिवर्तनीय डिबेंचरों की सम्पूर्ण राशि का मूल्यांकन, जहां परिवर्तन की शर्तें लागू न हों, पैरा (II) के अनुसार गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों के लिए लागू मापदण्डों के अनुसार किया जाता है।

ii) अदर्जाकृत/ गैर निवेश श्रेणी वाली ऋण प्रतिभूतियां :

अदर्जाकृत/ गैर निवेश श्रेणी वाली ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन उनके अंकित मूल्य में से 25 प्रतिशत बट्टा काटकर किया जाता है जबकि दीर्घावधि बट्टा वाले बॉण्डों का मूल्यांकन उनके अंतर्निहित लागत में से 25 प्रतिशत बट्टा काट कर किया जाता है।

III. सरकारी प्रतिभूतियां :

सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश का मूल्यांकन, मूल्यांकन तिथि को एम्फी द्वारा पंजीकृत संस्था क्रिसिल द्वारा जारी मूल्यों पर किया जाता है। जिन प्रतिभूतियां का मूल्य क्रिसिल द्वारा प्रदान नहीं किया जाता है, उनके लिए प्रतिफल वक्र रेखा का प्रयोग किया जाता है।

IV. अनोधृत वारंट :

अनोधृत वारंटों का मूल्यांकन लाभांश तत्व के लिए बट्टाकृत , यदि कोई हो, अंतर्निहित इक्विटी शेयर के बाजार मूल्य में से देय प्रायोगिक मूल्य घटा कर किया जाता है। जिन मामलों में इस प्रकार प्राप्त मूल्य, देय

प्रायोगिक मूल्य से अधिक होता है वहां वारंटों का मूल्य शून्य लिया जाता है और जहां देय प्रायोगिक मूल्य उपलब्ध नहीं है अथवा अंतर्निहित इक्विटी, गैर कारोबारी/ असूचीबद्ध है तो ऐसे वारंट का मूल्य लागत पर लिया जाता है।

V. अधिकार पात्रता :

शेयरों की अधिकार पात्रता का मूल्यांकन शेयरों के बाजार मूल्य में से देय प्रायेगिक मूल्य को घटाकर तथा लाभांश तत्व के लिए बट्टा काट कर, जहां लागू हो, किया जाता है।

VI. मुद्रा बाजार की लिखतें :

मुद्रा बाजार लिखतों में निवेश का मूल्यांकन लागत तथा मूल्यांकन तिथि तक उपार्जित ब्याज पर किया जाता है।

VII. अनोधृत / कम कारोबारी अधिमान शेयर :

i. अधिमान शेयरों के दर्जे के अभाव में किसी कंपनी की उपलब्ध ऋण लिखतों के दर्जे का प्रयोग मूल्यांकन हेतु किया जाता है।

ii. बीबीबी (-) एवं उससे उच्च श्रेणी वाली निवेश श्रेणी का मूल्यांकन, उपर्युक्त मूल्य बढ़ाकर, क्रिसिल मैट्रिक्स/ अन्य दर्जा निर्धारण एजेन्सियों द्वारा प्रदान किए गए दर्जे पर परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) पर किया जाता है।

iii. 'अदर्जाकृत ' एवं 'निवेश श्रेणी से निम्न 'श्रेणी वाले अधिमान शेयरों का मूल्यांकन अंकित मूल्य के 25% बट्टे पर किया जाता है।

iv. संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयरों का मूल्यांकन, पूर्णत: परिवर्तनीय डिबेंचरों के मूल्यांकन हेतु लागू मानदण्डों के अनुसार किया जाता है। यदि परिवर्तन के ब्यौरे उपलब्ध न हों तो वे सामान्य अधिमान शेयर माने जाते हैं और तदनुसार मूल्यांकित किए जाते हैं।

v. अधिमान शेयरों पर 90 दिनों के भीतर लाभांश प्राप्त न होने के मामले में मूल्यांकन हेतु 15% बट्टा लागू किया जाता है। यदि बकाया 1वर्ष से अधिक तक जारी रहता हो, तब 20% बट्टा लागू होता है।

vi. यदि प्रतिदान राशि 90 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होती है तो प्राप्य प्रतिदान हेतु 100% प्रावधान बनाया जाता है। यदि प्रतिदान किस्तों में हो और प्रतिफल 90 दिनों के भीतर प्राप्त नहीं होता हो तो प्राप्य प्रतिदान हेतु प्रावधान के अतिरिक्त शेष राशि पर नीचे दिए गए अनुसार बट्टा लागू होता है।

vii. यदि अधिमान शेयरों के प्रति पहले से ही प्रावधान किया गया हो तथा कंपनी द्वारा जारी कोई अन्य आस्ति गैर निष्पादी हो तो ऐसे अधिमान शेयरों को शून्य पर मूल्यांकित किया जाता है।

च. प्रावधान एवं मूल्यह्रास :

I. निवेश के मूल्य में मूल्यह्रास :

उपरोक्त मानदण्डों के अनुसार संगणित निवेशों के कुल मूल्य की तुलना ऐसे निवेशों की कुल लागत से की जाती है और परिणामस्वरूप मूल्यह्रास, यदि कोई हो, राजस्व लेखे में प्रभारित किया जाता है। यदि ऐसा कुल मूल्य, कुल लागत या पिछले वर्ष के अंत के कुल मूल्य से अधिक हो तो पहले समायोजित किए गए मूल्यह्रास की सीमा तक मूल्यवृद्धि राजस्व लेखे में पुन: जमा कर दी जाती है।

II. गैर निष्पादी आस्तियों हेतु प्रावधान: (एनपीए)

i. आस्ति को गैर निष्पादी (एनपीए) वर्गीकृत किए जाने की तिथि से पहले की अवधि के बकाया ब्याज आय के संबंध में प्रावधान किया गया है। ऐसी "आस्तियां " जिनका ब्याज/ मूलधन, एक तिमाही अर्थात् 90 दिन अथवा उससे अधिक दिनों से ऐसी आय/ किस्तें देय हों, उन्हें गैर निष्पादी आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ब्याज एवं निवेश का प्रावधान आस्ति के एनपीए वर्गीकृत किए जाने की तिथि से किया जाता है।

ii. एनपीए पर प्रावधान को राजस्व लेखे में प्रभारित किया जाता है।

iii. देय राशि की प्राप्ति पर उपरोक्त किए गए प्रावधान को चरणबद्ध रीति से पुनरांकित किया जाता है।

iv. लाभांश के संबंध में प्रावधान किया जाता है, यदि वह लाभांश-रहित तिथि से 120 दिन से अधिक तक बकाया बना रहे।

छ. अंतर योजना कारोबार (आईएसटी):

i. **कारोबारी इक्विटी शेयर** : कारोबारी प्रतिभूतियों की आईएसटी दिन (स्पॉट मूल्य) पर यथा आईएसटी तिथि पर प्रभावित होता है और इसकी अनुपस्थिति में पिछले 30 दिनों के दौरान उपलब्ध नवीनतम अंतिम बाजार मूल्य पर किया जाता है।

ii. **गैर कारोबारी/ कम कारोबारी/ गैर सूचीबद्ध इक्विटी शेयर :**

मोचन होने वाली योजनाओं के मामले में (अर्थात् आईएसटी की तिथि से 45 दिनों के अंदर परिपक्व होने

वाली योजनाएं) प्रतिभूतियों की आईएसटी से संबंधित तिथि निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त अंतरण मूल्य पर प्रभावित होगी :

क) यदि ऐसी इक्विटी हेतु, यथा आईएसटी तिथि, पिछले 90 दिनों के दौरान किसी भी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार में बाजार भाव उपलब्ध हो तो ऐसे बाजार भाव में से 25% अनकदीकरण हेतु बट्टा काट कर किया जाता है।

ख) अनोधृत इक्विटी समय-समय पर पूर्ववर्ती न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित पद्धति के अनुसार मूल्यांकित की जाती है। अनोधृत इक्विटी का आईएसटी उचित मूल्य में से 50% बट्टा काट कर किया जाता है।

ग) अन्य योजनाओं से निविदा बुलाकर आईएसटी, सबसे अधिक बोली पर प्रभावित होता है।

घ) यदि कोई भी योजना, लेने हेतु तैयार नहीं हो तो, प्रतिभूति रु.0.01 प्रति शेयर पर हस्तांतरित हो जाती है।

मोचित न होने वाली योजनाओं की प्रतिभूतियों का हस्तांतरण रु.0.01 प्रति शेयर पर डीआरएफ में होता है।

iii **डिबेंचर / बॉण्ड :**

क)कारोबारी डिबेंचर एवं बॉण्डों का आईएसटी, नीति ङ II(अ) के अनुसार प्रभावित होता है।

ख) कम कारोबारी/ गैर-कारोबारी डिबेंचरों, बॉण्डों एवं अंतरणीय नोट नीति ङ II(आ) के अनुसार प्रभावित होते हैं।

ग) गैर-निष्पादी प्रतिभूतियों का डीआरएफ में अंतरण रु.1.00 प्रति प्रतिभूति की दर पर किया जाता है।

iv. सरकारी प्रतिभूतियों के आईएसटी, नीति ङ(III) के अनुसार प्रभावित होते हैं।

v. अन्य निवेश - अन्य निवेशों/आस्तियों का आईएसटी ऐसे निवेशों की अंतर्निहित लागत पर प्रभावित होता है।

vi. योजनाओं की उधार निधियां, यदि कोई हों, अनुमोदित दरों पर ब्याज का भुगतान आंतरिक रूप से करती हैं।

ज. अभिरक्षक :

भारतीय स्टॉक धारिता निगम (एसएचसीआईएल) अभिरक्षक सेवाएं प्रदान करता है तथा उसके शुल्क प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिए जाते हैं।

झ. अचल आस्तियां :

i. अचल आस्तियों का उल्लेख पूर्ववर्ती लागत में संचित मूल्यह्रास घटाकर किया जाता है, सिवाय भूमि, भवन, परिसर और भवनों में सुधार के संदर्भ में, जिन्हें संचित मूल्यह्रास घटाकर पुनर्मूल्यांकित लागत पर दर्शाया जाता

है। पुनर्मूल्यांकन की दशा में, परिणामतः पुनर्मूल्यांकन पर आधिक्य को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में दर्शाया जाता है। पुनर्मूल्यांकन के कारण मूल्यवृद्धि की राशि पर मूल्यह्रास को पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में प्रभारित किया जाता है।

ii. मूल्यह्रास का प्रावधान घटी हुई लागत पद्धति से निम्नलिखित दरों पर किया जाता है। ऐसी आस्तियों को छोड़कर जो लेखा वर्ष के दौरान छः माह से कम अवधि के लिए धारित हों, जिनके मूल्यह्रास का प्रावधान उल्लिखित से आधी दर पर किया जाता है :-

भवन एवं स्वामित्व वाले परिसर	5%
फर्नीचर एवं फिक्स्चर	10%
कार्यालय उपकरण, भवन सुधार, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर एवं मोटर वाहन	33.33%

पट्टे पर जमीन एवं परिसर का परिशोधन, पट्टे की अवधि में समान रूप से किया जाता है।

iii. ऐसे परिसरों, जिनकी पट्टे की अवधि 8 वर्ष से अधिक हो जाए, में भवन सुधारों का मूल्यह्रास 33.33% की दर से किया जाता है, तथापि, पट्टावधि आठ वर्ष से अधिक न होने के मामले में, उसे आठ वर्ष की अवधि के बाद परिशोधित किया जाता है और आठ वर्षों की अवधि के भीतर पट्टा नवीकृत न होने के मामले में, बकाया परिशोधित राशि पट्टे के अंतिम वर्ष में प्रभारित की जाती है।

iv. अचल आस्तियां, जो संस्थापित हैं एवं प्रयोग में लायी जाती हैं, देयताओं का अंतिम निपटान लंबित रहने तक, अनुमोदित आधार पर उल्लिखित की जाती हैं। अंतिम निपटान होने पर मूल्यह्रास, आस्ति के प्रयोग में लाए जाने की तारीख से समायोजित किया जाता है।

v. अचल आस्तियों की बिक्री पर, लागत की अवलिखित राशि एवं पुनर्मूल्यांकन पर अचल आस्तियों की मूल्यवृद्धि को घटाने पर प्राप्त लाभ/ हानियां, राजस्व लेखे में हिसाब में ली जाती हैं। बेची गई आस्तियों हेतु पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि में बकाया शेष को सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित कर दिया गया है।

ञ. प्रारक्षित निधि :

पूर्ववर्ती भारतीय यूनिट ट्रस्ट अधिनियम 1963 की धारा 25 ख(1) के उपबंधानुसार निम्नलिखित कोष स्थापित किए गए हैं, जो एसयूयूटीआई के ही हैं, लेकिन प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से यूनिट योजना 1964 बॉण्ड के लेखों में लिखे जाते हैं।

विकास प्रारक्षित निधि (डीआरएफ) :

क **गठन** :

इस निधि को विकास, अनुसंधान, संवर्धनशील तथा ट्रस्ट के अन्य क्रियाकलापों के लिए बनाया गया है। यह निधि कुछ योजनाओं के अंतर्गत प्रतिलाभ/ पूंजी के संबंध में गारंटी प्रदान करती है।

यह निधि निम्नलिखित से बनी है: -

i. अंशदान से:

- 1 जुलाई, 1994 से आरंभ की गई योजनाओं से संबंधित योजनाओं के प्रावधानों के अनुसार।
- अन्य सभी योजनाओं के लिए पूर्ववर्ती यूटीआई के न्यासी मंडल द्वारा अनुमोदित दर पर।

ii. वीईसीएयूएस III से प्राप्त प्रबंधन शुल्क को आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है।

ख. **परिचालन :**

i. निधि की आय एवं व्ययों को प्रोद्भवन आधार पर हिसाब में लिया जाता है।

ii. निवेश उपरोक्त ङ में बताई गई नीति के अनुसार दर्शाए जाते हैं।

iii. निधि मुख्य रूप से ट्रस्ट द्वारा प्रवर्तित/ सह-प्रवर्तित कंपनी की इक्विटी शेयरों में निवेश करती है।

iv. योजना के समाप्त होने के दो वर्ष पश्चात्, लेखा वर्ष के अंत में अवशेष आस्तिगां बाजार मूल्य, यदि उपलब्ध हो, अन्यथा अनुमोदित दरों के आधार पर मूल्यांकित की जाती है। इस प्रकार प्राप्त मूल्य को देयताओं/ प्रावधानों के प्रति समायोजित किया जाता है और परिणामत: शुद्ध अधिशेष/ कमी को डीआरएफ में अंतरित किया जाता है। समूहित योजनाओं के मामले में यह प्रथा अंतिम योजना के समाप्त होने के दो वर्ष के पश्चात् अपनाई जाती है। यदि भविष्य में इस योजना के प्रति कोई दावा होता है तो वह डीआरएफ को प्रभारित किया जाता है।

ग. मोचन पश्चात् योजनाओं का शेष, जहां महत्वपूर्ण इक्विटी भारत सरकार की तरफ से धारित है, विधिवत् आस्तियों एवं देयताओं का मिलान कर डीआरएफ में दर्शाया जाता है।

घ. **अन्य निधियां :-**

वर्तमान में हमारे पास दो निधियाँ अर्थात् आस्ति पुनर्संरचना निधि, कर्मचारी कल्याण निधि है जिनकी स्थापना विकास प्रारक्षित निधि से प्राप्त अंशदान के जरिए की गई है।

ट. आय वितरण :

i. यूनिट पूंजी पर आय वितरण का प्रावधान, योजना के प्रावधानों/ प्रशासक द्वारा अनुमोदित दर पर किया जाता है।

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक
31 मार्च, 2010 का तुलन पत्र

रुपए लाख में

	यूनिट योजना 64 बॉण्ड	
	31.03.2010	31.03.2009
देयताएं		
पूंजी.....'क'	-	59,347.01
प्रारक्षित निधि और अधिशेष.....'ख'	173,967.45	149,358.75
चालू देयताएं एवं प्रावधान.....'ग'	217,176.85	201,910.89
विकास प्रारक्षित निधि का आकार	521,492.42	467,330.59
विकास प्रारक्षित निधि की चालू देयताएं एवं प्रावधान	39,010.36	48,172.30
विकास प्रारक्षित निधि के तहत मोचन उपरांत योजनाओं की देयताएं	76,588.88	72,917.22
विकास प्रारक्षित निधि.....'घ'	637,091.66	588,420.11
अन्य फंडों का आकार	110,483.36	105,891.77
अन्य फंडों की चालू देयताएं एवं प्रावधान	123,874.53	185,490.32
अन्य फंड.....'ङ'	234,357.89	291,382.09
कुल देयताएं	1,262,593.85	1,290,418.85
आस्तियां		
निवेश.....'च'	375,387.55	385,765.22
जमाराशियां.....'छ'	-	3,938.57
चालू आस्तियां.....'ज'	7,694.74	8,986.72
निश्चित आस्तियां.....'झ'	8,062.01	11,926.14
विकास प्रारक्षित निधि की आस्तियां	560,502.78	515,502.89
विकास प्रारक्षित निधि के तहत मोचन उपरांत योजनाओं की आस्तियां	76,588.88	72,917.22
विकास प्रारक्षित निधि की कुल आस्तियां.....'ञ'	637,091.66	588,420.11
अन्य फंडों की आस्तियां.....'ट'	234,357.89	291,382.09
कुल आस्तियां	1,262,593.85	1,290,418.85
लेखा टिप्पणियां.....'ठ'		

महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का विवरण लेखे का अभिन्न भाग है।

समतिथि के संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते अशोक भारतीय एवं कंपनी
सनदी लेखाकार

अशोक भारतीय
भागीदार

इम्तयाजुर रहमान
मुख्य वित्तीय अधिकारी

के. एन पृथ्वीराज
प्रशासक

मुंबई
दिनांक: 17 जून, 2010

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक
1 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 की अवधि हेतु राजस्व लेखा

रु. लाख में

	यूनिट योजना 64 बॉण्ड	
	चालू वर्ष	पिछला वर्ष
आय		
लाभांश	16,755.17	15,024.2
ब्याज	970.62	8,448.1
अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/मोचन पर लाभ	3,874.27	2,972.8
अन्य आय	445.87	5,173.8
पिछली अवधि के समायोजन - आय	-	-
पिछले वर्ष की संदिग्ध आय के लिए किया गया प्रावधान, पुनरांकित	157.39	181.0
संदिग्ध निवेशों एवं जमाराशियों के प्रति प्रावधान, पुनरांकित	-	0.1
वर्ष के दौरान पुनरांकित निवेश की लागत	2.08	18.8
मिलान की बकाया मदों हेतु प्रावधान, पुनरांकित	151.08	4,246.6
उप योग (क)	**22,356.48**	**36,065.8**
घटाएं: निवेश की लागत, पुनरांकित	-	642.8
घटाएं : संदिग्ध आय हेतु प्रावधान	39.68	125.7
घटाएं: संदिग्ध निवेश एवं जमाराशियां हेतु प्रावधान	110.76	114.3
घटाएं : मिलान में पुरानी मदों हेतु प्रावधान	-	1,250.8
उप योग (ख)	**150.44**	**2,133.8**
योग (क-ख)	**22,206.04**	**33,931.9**
व्यय		
वर्ष हेतु बॉण्डधारकों को प्रदत्त किया गया ब्याज	-	8,429.7
कार्यालय व्यय	752.60	1,888.0
प्रचार व्यय	0.19	203.9
अभिरक्षा, रजिस्ट्रार और बैंक प्रभार	281.04	409.4
लेखापरीक्षक की फीस	9.33	13.0
एएमसी फीस	859.49	936.3
स्थाई आस्तियों में मूल्यह्रास	185.54	227.2
उप योग(क)	**2,088.19**	**12,107.7**
जोड़ें :अंतर योजना कारोबार के अतिरिक्त निवेशों की बिक्री/प्रतिदान पर हानि	2,554.66	2,616.8
उप योग(ख)	**2,554.66**	**2,616.8**
योग (क)+(ख)	**4,642.85**	**14,724.6**
व्यय से आय की अधिकता	**17,563.19**	**19,207.3**
योग	**22,206.04**	**33,931.9**
राजस्व विनियोजन लेखा		
व्यय से अधिक आय	17,563.19	19,207.3
जोड़ें/(घटाएं):पिछली अवधि के समायोजन	7,431.78	(175,101.1)
योग	**24,994.97**	**(155,893.7)**
शेष, सामान्य आरक्षित निधि में अंतरित	24,994.97	(155,893.7)
योग	**24,994.97**	**(155,893.7)**

Statement of Significant Accounting Policies forms an integral part of the Accounts.

समतिथि के संलग्न रिपोर्ट के अनुसार
कृते अशोक भारतीय एवं कंपनी
सनदी लेखाकार

अशोक भारतीय
भागीदार

इम्तयाजुर रहमान
मुख्य वित्तीय अधिकारी

के. एन पृथ्वीराज
प्रशासक

मुंबई
दिनांक: 17 जून, 2010

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं

रु. लाख में

	यूनिट योजना 64 बॉण्ड	
तालिका 'क'	**31.03.2010**	**31.03.2009**
पूंजी		
बॉण्ड पूंजी	-	59,347.01
TOTAL	**-**	**59,347.01**
तालिका 'ख'		
प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष		
यूनिट प्रीमियम प्रारक्षित निधि		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष (यूपीआर)	(279,463.83)	(279,472.71)
वर्ष के दौरान संग्रहीत/(प्रदत्त) प्रीमियम (शुद्ध)	(0.01)	8.88
योग	**(279,463.84)**	**(279,463.83)**
स्थाई संपत्तियां पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष (पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि)	10,458.35	16,511.31
घटाएं: स्थाई संपत्तियों पर मूल्यह्रास में अंतरित	386.27	484.63
घटाएं: सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित	4,698.64	5,568.33
योग	**5,373.44**	**10,458.35**
सामान्य प्रारक्षित निधि		
यूनिट पूंजी पर सामान्य प्रारक्षित निधि		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	418,364.23	568,689.67
राजस्व विनियोजन लेखे से अंतरित	24,994.97	(155,893.77)
स्थाई संपत्तियां पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित निधि से अंतरित	4,698.64	5,568.33
उप योग(क)	**448,057.83**	**418,364.23**
कुल योग	**173,967.45**	**149,358.75**
तालिका 'ग'		
चालू देयताएं और प्रावधान		
चालू देयताएं		
विविद लेनदार		
संवीक्षाधीन आवेदन राशि	136,261.92	152,636.85
अदावी आय/लाभांश वितरण	61.17	61.17
योग (क)	75,305.51	35,432.10
प्रावधान	**211,628.59**	**188,130.12**
संदिग्ध समझी गई बकाया आय के लिए प्रावधान	216.51	334.22
संदिग्ध निवेशों एवं जमाराशियों के लिए प्रावधान	3,524.50	3,413.74
मिलान की बकाया मदों के लिए प्रावधान	1,782.37	10,007.95
आय वितरण हेतु प्रावधान	24.86	24.86
योग (ख)	**5,548.25**	**13,780.77**
योग (क)+(ख)	**217,176.85**	**201,910.89**
तालिका 'घ'		
विकास प्रारक्षित निधि		
पिछले तुलन-पत्र के अनुसार शेष	467,330.60	463,823.26
विलयित निधियों के शेष का अंतरण	-	28,101.14
बिक्री /मोचन पर प्रीमियम	(66.04)	-
वर्ष के दौरान प्राप्त आय/ब्याज	56,173.47	57,376.45
उप योग(क)	**523,438.03**	**549,300.85**
घटाएं : वर्ष के दौरान उपयोग	1,945.61	81,970.26
उप योग'ख'	**1,945.61**	**81,970.26**
विकास प्रारक्षित निधि का आकार उप योग ग =क-ख	**521,492.42**	**467,330.60**
चालू देयताएं और प्रावधान		
विविध लेनदार	4,089.20	4,490.67
अदावी आय/लाभांश वितरण	24,312.57	26,657.72
भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान	-	2,174.97
संदिग्ध आय हेतु प्रावधान	162.82	165.29
संदिग्ध आय एवं जमाराशियों हेतु प्रावधान	10,441.68	13,145.39
मिलान में बकाया मदों हेतु प्रावधान	4.09	1,538.26
डीआरएफ की चालू देयताएं एवं प्रावधान-उप योग 'घ'	**39,010.36**	**48,172.30**
योग X = (ग+घ)	**560,502.78**	**515,502.90**

भारतीय यूनिट ट्रस्ट के विनिर्दिष्ट उपक्रम के प्रशासक

31 मार्च, 2010 को समाप्त वर्ष के लिए लेखों के भाग के रूप में संलग्न तालिकाएं (जारी)

रु. लाख में

	यूनिट योजना 64 बॉण्ड	
	31.03.2010	31.03.200
तालिका 'घ'(जारी)		
डीआरएफ के अंतर्गत मोचन उपरांत योजनाओं की देयताएं		
मोचन उपरांत फंड		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार सामान्य प्रारक्षित निधि	28,791.43	23,202.42
वर्ष के दौरान प्राप्त आय/ब्याज	3,941.78	5,799.98
निधि का उपयोग	273.13	210.97
उप योग (अ)	**32,460.08**	**28,791.43**
चालू देयताएं और प्रावधान		
विविद लेनदार	6.54	3.55
भारत सरकार को देय	43,743.18	43,743.18
संदिग्ध निवेशों एवं जमाराशियों हेतु प्रावधान	379.06	379.06
उप योग (आ)	**44,128.78**	**44,125.79**
डीआरएफ के तहत मोचन उपरांत योजनाओं की देयताएं कुल Y= अ+आ	**76,588.88**	**72,917.22**
विकास प्रारक्षित निधि Z = X + Y	**637,091.66**	**588,420.12**
तालिका 'ङ'		
अन्य निधियां		
(क) स्टाफ कल्याण निधि (एसडबल्यूएफ)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	23,092.81	21,559.06
वर्ष के दौरान शुद्ध आय	754.59	1,588.00
वर्ष के दौरान उपयोग	81.17	54.25
निधि का आकार - उप योग (क)	**23,766.23**	**23,092.81**
चालू देयताएं और प्रावधान		
विविद लेनदार	0.44	0.20
उप योग (आ)	**0.44**	**0.20**
योग 'क' = (अ+आ)	**23,766.67**	**23,093.01**
(ख) आस्ति पुनः संरचना निधि (एआरएफ)		
पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष	82,798.96	76,326.57
वर्ष के दौरान अर्जित आय	4,233.96	6,772.24
निधि का उपयोग	315.79	299.85
निधि का आकार - उप योग (अ)	**86,717.13**	**82,798.96**
चालू देयताएं और प्रावधान		
विविद लेनदार	62.32	1,061.54
संदिग्ध आय हेतु प्रावधान	7,815.29	11,084.70
संदिग्ध निवेश एवं जमाराशियों हेतु प्रावधान	115,996.48	173,343.88
मिलान की बकाया मदों हेतु प्रावधान	-	-
उप योग (आ)	123,874.09	185,490.12
योग 'ख' = (अ+आ)	**210,591.22**	**268,289.08**
अन्य निधियों का आकार -योग I	**110,483.36**	**105,891.77**
अन्य निधियों की चालू देयताएं एवं प्रावधान - योग II	**123,874.53**	**185,490.32**
अन्य निधियां कुल(क+ख)	**234,357.89**	**291,382.09**